# माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय, सहारनपुर

(पुँवारका, सहारनपुर, उ0प्र0, पिन–247120)

Website- msuniversity.ac.in Email ID- dyregistrar@msuniversity.ac.in

पत्रांक : 78/ एके0/एम.एस.यू./2024–25 दिनांक: 12-11-24

## कार्यालय–ज्ञाप

एतद्द्वारा समस्त सम्बन्धित को सूचित किया जाता है कि उच्च शिक्षा अनुभाग–3, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या–2090/सत्तर–3–2024–09(01)/2023(L-4), दिनांकः 02 सितम्बर, 2024 के आलोक में शैक्षिक सत्र 2024–25 से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 स्नातक/परास्नातक एवं शोध पाठ्यक्रम हेतु संशोधित नियमावली विश्वविद्यालय की वैबसाइट http://www.msuniversity.ac.in पर अपलोड कर दी गयी है।

**संलग्नक– यथोपरि।**

कुलसचिव

**प्रतिलिपि अधोलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–**

01. प्राचार्य/प्राचार्या समस्त सम्बद्ध महाविद्यालयों को इस आशय के साथ प्रेषित कि शैक्षिक सत्र 2024–25 से संशोधित नियमावली पाठ्यक्रम के अनुरूप ही पठन–पाठन का कार्य कराया जाना सुनिश्चित करें।
02. परीक्षा नियंत्रक।
03. प्रवेश समन्वयक/सहायक प्रवेश समन्वयक।
04. शैक्षणिक समन्वयक।
05. शोध समन्वयक्
06. प्रभारी अतिगोपनीय/गोपनीय/परीक्षा।
07. कुलपति कार्यालय को मा0 कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
08. प्रभारी विश्वविद्यालय वैबसाइट।
09. गार्ड फाइल।

उपकुलसचिव

Scanned with OKEN Scanner

# माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय, सहारनपुर

(पुँवारका, सहारनपुर, उ0प्र0, पिन–247120)

Website- msuniversity.ac.in Email ID –examcontroller@msuniversity.ac.in

पत्रांक : /परीक्षा/MSU/2023–24 दिनांकः

## राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 स्नातक/परास्नातक एवं शोध पाठ्यक्रम हेतु संशोधित नियमावली शैक्षणिक सत्र 2024–25

### 1.संदर्भ (Intrducation)-

राष्ट्रीय शिक्षा–नीति 2020 को शासनादेश संख्या 1567/सत्तर–3–20–2021–16(26)/2011 दिनांक 13.07.2021 के अनुपालन में माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय, सहारनपुर में सत्र 2021–2022 से लागू हैं। शासनादेश संख्या 2090/सत्तर–3–24–2024–09(01)/2023(L) 02 सितम्बर द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में शैक्षिक सत्र 2024 से संशोधित व्यवस्था के अनुसार राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के अन्तर्गत कलां विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय के स्नातक, स्नातकोत्तर एवं पी0एच0डी0 पाठ्यक्रमों को माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय में संचालित करने हेतु माननीय कुलपति महोदय द्वारा NEP सीमित का गठन पत्रांक 27/06/AK/एम0एस0यू0/2024–25 दिनांक 12.09.2024 को किया गया था। पूर्व निर्गत नियमावली में शासन द्वारा संशोधित व्यवस्था को समायोजित करते हुए सम्यक् विचारोपरान्त समिति निम्नवत् संस्तुति प्रस्तुत करती हैं।

### 2. क्षेत्र (Scope)

2.1 (अ) यह व्यवस्था कला, विज्ञान वाणिज्य आदि संकायों में त्रिवर्षीय बहुविषयक स्नातक तथ चार वर्षीय स्नातक (मानद व मानद शोध सहित) यथा बी0ए0, बी0एस0सी0, एवं0 बी0कॉम तथा एकल विषय परास्नातक यथा एम0ए0, एम0एस0सी0, एम0कॉम0, कार्यक्रमों में लागू होगी।

(ब) त्रिवर्षीय एकल विषय स्नातक, स्नातक (आनर्स), यथा बी0एस0सी0 (माइक्रोबॉयोलोजी) इत्यादि तथा एकल विषयक/संकाय स्नातक यथा बी0एस0सी0, बी0बी0ए0 आदि कार्यक्रमों में भी लागू होगी।

2.2 (अ) त्रिवर्षीय स्नातक स्तर पर विभिन्न विषयों के न्यूनतम समान पाठ्यक्रम (Minimum Common Syllabus) जो पूर्व में उपलब्ध करा दिये गये है, आगे भी लागू रहेंगे।

(ब) चार वर्षीय स्नातक (FYUP) कोर्स का पाठ्यक्रम स्नातक के तीन वर्ष एवं परास्नातक के प्रथम वर्ष को जोडकर माना जायेगा, पृथक से नये पाठ्यक्रम बनाने की आवश्यकता नहीं होगी।

2.3 (अ) बहुविषयक त्रिवर्षीय स्नातक, चार वर्षीय स्नातक (एप्रेन्टिसशिप एम्बेडिड) चार वर्षीय स्नातक (मानद) एवं स्नातक (मानद शोध सहित), परास्नातक प्री0 पी0एच0डी0 कोर्स वर्क इत्यादि में विषयों तथा क्रेडिटस् की विस्तृत जानकारी तालिका–1 में दी गई हैं।

(ब) त्रिवर्षीय एकल विषय स्नातक, स्नातक (आनर्स), यथा बी0एस0सी0 (माइक्रोबॉयोलोजी) इत्यादि तथा एकल विषयक संकाय स्नातक यथा बी0सी0ए0,बी0बी0ए0 आदि के लिए व्यवस्था तालिका–2 में दी गयी हैं।

2.4 यह सभी व्यवस्थायें सत्र–2024–25 से लागू होंगी।

2.5 अन्य संकायों अथवा कार्यक्रमों यथा–चिकित्सा तकनीकी, शिक्षक, शिक्षा, कृषि, विधि आदि में नियामक संस्थाओं के नियम लागू होते हैं। उन के लिए व्यवस्था का निर्धारण नियामक संस्थाओं यथा–एम0सी0आई0, ए0आई0सी0टी0ई0, एन0सी0टी0ई0, बी0सी0आई0 आदि के एन0ई0पी0–2020 के अनुरूप नए पाठ्यक्रम व संरचना आने पर किया जायेगा।

### 3 परिभाषाएं–

3.1 **पाठ्यक्रम/कार्यक्रम** (Programme)–

एक वर्ष का सर्टिफिकेट, दो वर्ष का डिप्लोमा, तीन वर्ष की स्नातक डिग्री, चार वर्ष की स्नातक (मानद), स्नातक (मानद शोध सहित) डिग्री एवं स्नातक (एप्रेन्टिसशिप एम्बेडिड) पाँच वर्ष की स्नातकोत्तर डिग्री तथा शोध उपाधि यथा–बी0ए0, बी0एस0सी0, बी0कॉम, बी0एड0, बी0बी0ए0, बी0एल0ई0, एम0ए0, एम0एस0सी0, एम0कॉम0, एल0एल0बी0, पीएच0डी0 इत्यादि।

Scanned with OKEN Scanner

3.2 संकाय (Faculty)

3.2.1 संकाय विषयों का समूह है– यथा–कलां संकाय, विज्ञान संकाय, वाणिज्य संकाय इत्यादि।

3.2.2 छात्रों को बहुविषयकता उपलब्ध कराने के लिए संकायों में विषयों के वर्गीकरण एंव विषय कोडिग की व्यवस्था शासनादेश संख्या–1267/सत्तर–3–2021 16(26)/2011, दिनांक 15.06.2021 के अनुसार होगी, जहाँ कला संकाय को भाषा संकाय, कला मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान संकाय तथा ललित कला एवं प्रदर्शन कला संकाय में विभाजित किया गया है।

3.2.3 उक्त शासनादेश मे निर्धारित कतिपय संकायो को यू0जी0सी0 के सुझाव के अनुसार और अधिक विभाजित किया जा रहा हैं। जैसे कि विज्ञान संकाय को गणितीय विज्ञान, जैविक विज्ञान, भौतिकीय विज्ञान संकाय इत्यादि तथा भाषा संकाय को भारतीय व विदेशी भाषा संकायों इत्यादि में। उक्त के लिए पृथक से शासनादेश जारी किया जायेगा।

3.2.4 कला एवं विज्ञान संकायों में विभाजन को बहुविषयकता के लिए अलग संकाय माना जायेगा किन्तु उन्हे डिग्री क्रमशः कला संकाय (B.A) एवं विज्ञान संकाय (B.Sc) की ही मिलेगी। इसी प्रकार ग्रामीण विज्ञान जो कि कला संकाय से विभाजित हुआ हैं, में भी कला संकाय (B.A) की डिग्री मिलेगी।

3.2.5 संकायों में विषयों के वर्गीकरण की यह व्यवस्था मात्र विषय कोडिंग एवं छात्रों को बहुविषयकता उपलब्ध कराने हेतु हैं। विभिन्न विश्वविद्यालयों में जो संकाय एवं प्रशासनिक व्यवस्था चल रही है, वह यथावत् रहेगी। (शासनादेश संख्या 1276/सत्तर–3–2021–16(26)/2011, दिनांक 16.06.2021)

3.3 विषय (Subject)–यथा

3.3.1 संस्कृत, हिन्दी, जन्तु विज्ञान, इतिहास आदि।

3.3.2 एक विषय एक ही संकाय में सूचीबद्व होगा।

3.4 कोर्स/पेपर/प्रश्नपत्र (Course/Paper)–

3.4.1 एक विषय के विभिन्न थ्योरी/प्रैक्टिकल के पेपर को कोर्स/पेपर/प्रश्नपत्र कहा जायेगा।

3.4.2 थ्योरी, प्रैक्टिकल और शोध परियोजना के पेपर्स/प्रश्नपत्रों के कोड अलग–अलग होगा।

4. मुख्य (मेजर) तथा गौण (माइनर) विषय के इलेक्टिव पेपर :

4.1 प्रारम्भ में विद्यार्थी का प्रवेश तीन वर्ष की स्नातक डिग्री हेतु होगा। चौथे वर्ष में विद्यार्थी चार वर्ष की स्नातक (मानद) स्नातक (मानद शौध सहित) एवं स्नातक (एप्रेन्टिससिप एम्बेडिड) डिग्री में से किसी एक का चयन कर सकते हैं।

4.2 (अ) विश्वविद्यालय इच्छुक संस्थानों के आवेदन करने पर तीन वर्षीय स्नातक (FYUP) की मान्यता/सम्बद्वता नये कोर्स के रूप में नियमानुसार प्रदान कर सकते हैं।

(ब) विश्वविद्यालय इच्छुक संस्थानों को त्रि वर्षीय स्नातक पाठय्क्रम को विश्वविद्यालय के नियमानुसार चार वर्षीय स्नातक पाठय्क्रम (FYUP) में उच्चीकृत कर सकते हैं।

4.3 (अ) विद्यार्थी को प्रवेश के समय बी0ए0, बी0एस0सी0 बी0कॉम, आदि में से किसी एक पाठय्क्रम/कार्यक्रम का चयन करना होगा और उसे उस पाठय्क्रम के दो मुख्य (मेजर) विषयों का चयन करना होगा। इसी पाठय्क्रम में विद्यार्थी को डिग्री मिलेगी। पाठयक्रम के चयनित विषयों के अध्ययन वह तीन/चार वर्ष (प्रथम से छठे/अष्टम सेमेस्टर) तक कर सकता हैं। यदि वह किसी वर्ष/वर्षो में विषय परिवर्तित करता है तो उसे बिन्दु 8.8 के अनुसार डिग्री दी जायेगी।

(ब) बहुविषयकता का निर्धारण किसी एक या अन्य संकाय में मुख्य और गौण विषयों को मिलाकर किया जा सकता हैं तीनों विषय (2 मुख्य, 1 गौण) किसी एक संकाय के एक वर्ग के नहीं हो सकते हैं।

(स) चार वर्षीय स्नातक (मानद) एवं स्नातक (मानद शोध सहित) डिग्री के लिए चतुर्थ वर्ष में विद्यार्थी उपरोक्त दो मेजर विषयों में से किसी एक विषय (जिसका अध्ययन विद्यार्थी ने अनिवार्य रूप से पूर्व के तीन वर्षो/छः सेमेस्टर में किया हैं) का चयन करेगा तथा सप्तम व अष्टम सेमेस्टर्स में भी उस विषय को पढेगा।

(द) तीन वर्षीय स्नातक के पश्चात विद्यार्थी किसी नये विषय में परास्नातक में प्रवेश ले सकता हैं (जिससे Pre-requistie के अनुसार वह अर्ह हैं) परन्तु एक वर्ष की परास्नातक/चतुर्थ वर्ष की पढाई के बाद उसे कोई डिग्री अथवा डिप्लोमा नहीं मिलेगा। दो वर्ष पूर्ण एवं उर्तीर्ण करने पर ही उसे उस विषय में परास्नातक की डिग्री मिलेगी।

Scanned with OKEN Scanner

(ध) त्रिवर्षीय स्नातक के अध्ययन के पश्चात चार वर्षीय डिग्री के लिए भी विद्यार्थी को उस विषय में परास्नातक में नया प्रवेश लेना होगा जो कि विश्वविद्यालय में प्रचलित प्रवेश प्रक्रिया के अनुरूप परास्नातक की उपलब्ध सीटों पर किया जायेगा।

4.4 विद्यार्थी द्वारा गौण (माइनर) विषय का चयन बहुविषयकता के लिए किसी भी अन्य संकाय से विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में सीट उपलब्धता के आधार पर किया जायेगा। गौण विषय के चयन में सीट कैपिग की आवश्यकता नहीं हैं।

4.5 विद्यार्थी द्वितीय/तृतीय वर्ष में मुख्य विषय परिवर्तित कर सकता हैं अथवा उनके क्रम में परिवर्तन कर सकता हैं।

4.6 विद्यार्थी को विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों में विषयों की उपलब्धता के आधार पर नियमानुसार विषय परिवर्तन की सुविधा होगी, परन्तु वह एक वर्ष बाद ही विषय परिवर्तित कर सकता है, एक सेमेस्टर के बाद नहीं।

4.7 गौण (माइनर) विषय का कोर्स किसी भी विषय का इलेक्टिव पेपर (6 क्रेडिट) होगा, न कि पूर्ण विषय। इस कोर्स के चुनाव में Pre-requisite का ध्यान रखा जाना आवश्यक नहीं है। चुने हुए माइनर की कक्षायें, फैकल्टी में संचालित उसी कोर्स की कक्षाओं के साथ होगी तथा उसकी परीक्षा भी उसी के साथ होगी। प्रयोगात्मक विषय गौण (माइनर) विषय के रूप में नहीं दिया जा सकता हैं।

4.8 सभी विश्वविद्यालय उपलब्ध संसाधनों के आधार पर अन्य संकाय/विषय के छात्रों के लिये माइनर इलैक्टिव पेपर (6 क्रेडिट का) तैयार कर सकते हैं। ऐसे माइनर इलैक्टिव कोर्स/पेपर का पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय की बोर्ड ऑफ स्टडीज, विद्वत परिषद इत्यादि में नियमानुसार अनुमोदित कराया जायेगा। इस प्रकार के इलैक्टिव पेपर की कक्षायें विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों में अलग से होगी तथा परीक्षा विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुसार आयोजित होंगी।

4.9 विश्वविद्यालय माइनर पेपर/स्किल कोर्स के लिये स्वंयम (SWAYAM) पोर्टल एवं अन्य मान्यता प्राप्त आनलाईन संस्थानों की वेबसाइट पर उपलब्ध कोर्स की सूची बनाकर संस्तुत कर सकते हैं। उक्तानुसार संस्तुत कोर्स का अध्ययन विद्यार्थी स्वंयम (SWAYAM) एवं अन्य मान्यता प्राप्त संस्थानों की वेबसाइट से निःशुल्क कर सकता हैं तथा विश्वविद्यालय इन कोर्स की परीक्षा माइनर पेपर के साथ करायेंगे।

4.10 यदि विद्यार्थी उक्त कोर्स को स्वयंम (SWAYAM) अथवा अन्य मान्यता प्राप्त आनलाईन संस्थानों से परीक्षा देकर उत्तीर्ण करता हैं तो वह इसका सर्टीफिकेट अपने महाविद्यालय/विश्वविद्यालय में जमा करेगा। माइनर पेपर्स के लिये अधिकतम 12 क्रेडिट तथा स्किल कोर्स के लिए अधिकतम 9 क्रेडिट मान्य होगें तथा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित ग्रेड प्वाइन्टस इन्हीं क्रेडिट को दिये जायेंगे तथा SGPA/CGPA की गणना की जायेगी।

4.11 एन0सी0सी0 के शासनादेश संख्या–1815/सत्तर–3–2021–16(26)/2011 दिनांक 09.08.2021 में वर्णित व्यवस्थानुसार माइनर विषय के क्रेडिट प्रदान किये जा सकते हैं।

## 5 कौशल विकास कोर्स (Vocational/Skill Development Course)

5.1 स्नातक स्तर के प्रत्येक विद्यार्थी को प्रथम दो वर्षो (प्रथम तीन सेमेस्टर्स) के प्रत्येक सेमेस्टर में 3 क्रेडिट का एक कौशल विकास कोर्स (3x3=9 क्रेडिट के कुल तीन पाठ्यक्रम) करना अनिवार्य होगा।

5.2 उक्त कौशल विकास कोर्स पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या–1969/सत्तर–3–2021, दिनांक 18 अगस्त, 2021 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार संचालित किये जाए।

5.3 यदि विद्यार्थी यू0जी0सी0/PMKVY4.0/केन्द्र/राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त संस्था से तीन या उससे अधिक क्रेडिट का कोई ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन कौशल विकास कोर्स करता हैं, तो उसे उतने ही क्रेडिट प्रदान कर दिये जायेंगे। स्नातक के लिए कुल 9 क्रेडिट अर्जित करना आवश्यक हैं। विद्यार्थी अधिकतम् 9 क्रेडिट (एक साथ/अलग अलग) को क्रम अथवा अधिक समय में पूरे कर सकते हैं।

## 6. सह–पाठ्यक्रम/कोर्स (Co-Curricular Courses)

6.1 स्नातक स्तर के प्रत्येक विद्यार्थी को प्रथम दो वर्षो (चार सेमेस्टर) के प्रत्येक सेमेस्टर में दो क्रेडिट का एक सह–पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम/कोर्स करना अनिवार्य होगा अर्थात कुल 8 क्रेडिट (4 कोर्स से) अर्जित करने होंगे।

6.2 इन सह–पाठ्यचर्या पाठ्यकमों/कोर्स की परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रश्नपत्र के माध्यम से करायी जायेगी। इनमें उत्तीर्ण प्रतिशत वहीं होगा जो मुख्य व माइनर विषय के पेपर्स में होगा तथा इनमें प्राप्त ग्रेड्स को सी0जी0पी0ए0 की गणना में सम्मिलित किया जायेगा।

Scanned with OKEN Scanner

6.3 प्रथम सेमेस्टर में प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (First Aid & Basic Health) ,द्वितीय सेमेस्टर में मानवीय मूल्य एवं पर्यावरण अध्ययन (Human Values and Environment Studies), तृतीय सेमेस्टर में शारीरिक शिक्षा एंव योग (Physical Education and Yoga) का अध्ययन किया जायेगा, जिनके पाठयक्रम पूर्व में संचालित हैं।

6.4 चतुर्थ सेमेस्टर में एक भारतीय/स्थानीय भाषा तथा यू0जी0सी0 द्वारा बनाये गये "सामाजिक उत्तरदायित्व एवं सामुदायिक सहभागिता (Social Responsibility and Community Engagement) पाठयक्रम अनिवार्य रूप से चलायेंगे। भारतीय भाषा को मुख्य विषय के रूप में लेने वाले विद्यार्थी "सामाजिक उत्तरदायित्व एवं सामुदायिक सहभागिता पाठयक्रम का अध्ययन करेंगें तथा अन्य विद्यार्थी भारतीय/स्थानीय भाषा का अध्ययन करेंगें, जिसका पाठयक्रम विश्वविद्यालय द्वारा स्थानीय भाषा के दृष्टिगत तैयार किया जायेगा।

7. शोध परियोजना (Research Project)

7.1 स्नातक स्तर पर द्वितीय वर्ष के बाद ग्रीष्मावकाश में विद्यार्थी अपने द्वारा चयनित दो मुख्य विषयों में से किसी एक विषय से संबधिंत तीन क्रेडिट की एक शोध परियोजना करेगा। ग्रीष्मावकाश में पूर्ण न कर पाने की स्थिति में यह शोध परियोजना तृतीय वर्ष के पंचम सेमेस्टर में भी की जा सकती हैं परन्तु उसे द्वितीय वर्ष के चतुर्थ सेमेस्टर में उत्तीर्ण तभी माना जायेगा जब उसके द्वारा उक्त शोध परियोजना पूर्ण कर ली जायेगी।

7.2 स्नातक कक्षा में 75 प्रतिशत अथवा अधिक प्राप्तांक वाले विद्यार्थी स्नातक चतुर्थ वर्ष अथवा स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष के दोनों सेमेस्टर्स में चार–चार क्रेडिट के दो कोर्स के स्थान पर एक शोध परियोजना ले सकता है। यह शोध परियोजना एक सप्तम एवं एक अष्टम सेमेस्टर के थ्योरी कोर्स के स्थान पर लेनी होंगी ना कि किसी एक सेमेस्टर के दो कोर्स के स्थान पर। स्नातक चतुर्थ वर्ष में शोध सहित उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी को स्नातक (मानद शोध सहित) की उपाधि दी जाएगी।

7.3 स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष (उच्च शिक्षा का पंचम वर्ष) में अनिवार्य रूप से एक शोध परियोजना करनी होगी जो कि नवम एवं दशम सेमेस्टर में चार–चार क्रेडिट की होगी।

7.4 पी0जी0डी0आर0 में चार क्रेडिट की शोध परियोजना का स्वरूप विश्वविद्यालय अपने प्री–पी0एच0डी0 कोर्स वर्क के अनुसार निर्धारित करेंगे। स्नातक (मानद शोध सहित) उपाधि प्राप्तकर्ता परास्नातक पूर्ण किये बिना भी पी0एच0डी0 की प्रवेश प्रक्रिया जैसे प्रवेश परीक्षा एवं साक्षात्कार इत्यादि के लिए अर्ह होगा।

7.5 शोध परियोजना एक शिक्षक सुपरवाईजर के निर्देशन में पूर्ण की जायेगी। सुपरवाईजर के रूप में एक अन्य विशेषज्ञ को किसी उद्योग/कम्पनी/तकनीकी संस्थान/शोध/शिक्षण संस्थान से लिया जा सकता हैं।

7.6 यह शोध परियोजना इन्टरडिस्पलनरी/मल्टीडिस्पलनरी भी हो सकती हैं। यह शोध परियोजना इण्डस्ट्रियल ट्रेनिग/इन्टरर्नशिप/सर्वे वर्क इत्यादि के रूप में भी हो सकती हैं।

7.7 विद्यार्थी स्नातक स्तर पर द्वितीय वर्ष के पश्चात की गई शोध परियोजना की प्रोजेक्ट रिपोर्ट अपने विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में जमा करेगा।

7.8 स्नातक (मानद शोध सहित)/स्नातकोत्तर स्तर पर विद्यार्थी वर्ष के अंत में दोनों सेमेस्टर में की गई शोध परियोजना की रिपोर्ट/शोध–प्रबन्ध (Report/Disseration) अपने विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में जमा करेगा।

7.9 पी0जी0डी0आर0 स्तर पर विद्यार्थी प्री0–पी0एच0डी0 कोर्स वर्क के पश्चात की गई शोध परियोजना की रिपोर्ट/शोध–प्रबन्ध (Report/Disseration) अपने विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में जमा करेगा।

7.10 बिन्दु 7.1 के अतिरिक्त उपरोक्त सभी स्नातकोत्तर कार्यक्रम शोध परियोजनाओं का मूल्यांकन सुपरवाईजर एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामित वाह्य परीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से 100 (75 शोध प्रबंध + 25 शोध पत्र) अंकों में से किया जायेगा। विद्यार्थी अपनी इस शोध परियोजना में से पेटेन्ट प्रकाशन अथवा शोध पत्र (UGC-CARE Listed) अथवा बुक चैप्टर (ISBN) स्नातकोत्तर कार्यक्रम के दौरान प्रकाशित करावायेगा। 25 अंक पेटेन्ट अथवा शोध पत्र (UGC-CARE Listed) अथवा बुक चैप्टर (ISBN) पर देय होगें।

Scanned with OKEN Scanner

पेटेन्ट अथवा शोध पत्र (UGC-CARE Listed) अथवा बुक चैप्टर (ISBN) न होने पर प्राप्तांक अधिकतम 75 अंक ही देय होंगे। पूर्णांक अधिकतम 100 ही होंगे। दो राष्ट्रीय/अन्तराष्ट्रीय सेमिनार/संगोष्ठी में पेपर प्रेजेन्ट करने पर भी 25 अंक देय होंगे। पेटेन्ट/शोध पत्र/बुक चैप्टर का प्रकाशन सुपरवाईजर तथा कई विद्यार्थियों द्वारा संयुक्त रूप से कराने पर भी मान्य होगा।

7.11 स्नातक, स्नातक (मानद शोध सहित) स्नातकोत्तर एवं पी0जी0डी0आर0 के विद्यार्थियों की ग्रेड शीट पर शोध परियोजना के प्राप्तांकों पर आधरित ग्रेड अंकित होंगे तथा उन्हें सी0जी0पी0ए0 की गणना में भी सम्मलित किया जायेगा।

7.12 स्नातकोत्तर स्तर पर शोध प्रबन्ध का मूल्यांकन विषम सेमेस्टर में आन्तरिक परीक्षक (सुपरवाइजर) द्वारा एवं सम सेमेस्टर में संयुक्त शोध प्रबन्ध का मूल्यांकन बाहय् परीक्षक एवं आन्तरिक परीक्षक के द्वारा संयुक्त रूप से किया जायेगा।

8. क्रेडिट एवं क्रेडिट निर्धारण

8.1 थ्योरी के क्रेडिट के पेपर में एक घंटा/प्रति सप्ताह का शिक्षण कार्य होगा, अर्थात एक सेमेस्टर के 15 सप्ताह में 15 घंटे का शिक्षण कराना होगा।

8.2 प्रैक्टिकल/इन्टर्नशिप/फील्ड वर्क आदि के एक क्रेडिट के पेपर में दो घंटे/प्रति सप्ताह का शिक्षण कार्य होगा, अर्थात एक सेमेस्टर के 15 सप्ताह में 30 घंटे का प्रैक्टिकल/इन्टर्नशिप/फील्ड वर्क आदि कराना होगा। शिक्षक के कार्यभार की गणना में थ्योरी के एक घंटे का कार्यभार प्रैक्टिकल/इन्टर्नशिप/फील्ड वर्क आदि के दो घंटे के कार्यभार के बराबर होगा, अर्थात प्रैक्टिकल के दो घंटे का कार्य एक घंटे का वर्कलोड माना जायेगा।

8.3 क्रेडिट सम्बन्धित समस्त कार्य एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट (ABC/ABACUS) के माध्यम से किये जायेंगे, जिसके दिशा निर्देश पृथक से समय–समय पर जारी किए जाते हैं।

8.4 विद्यार्थी न्यूनतम 40 क्रेडिट अर्जित करने पर एक वर्षीय सर्टीफिकेट न्यूनतम 80 क्रेडिट अर्जित करने पर द्विवर्षीय डिप्लोमा तथा न्यूनतम 120 क्रेडिट अर्जित करने पर त्रिवर्षीय स्नातक डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त विद्यार्थी न्यूनतम 160 क्रेडिट अर्ज़ित करने पर चार वार्षिय स्नातक (मानद), स्नातक (मानद शोध सहित) (एप्रेन्टिससिप एम्बेडिड) डिग्री 200 क्रेडिट करने अर्जित करने पर स्नातकोत्तर डिग्री तथा न्यूनतम 216 क्रेडिट अर्जित करने पर पी0जी0डी0आर0 की डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। त्रिवर्षीय स्नातक डिग्री के पश्चात विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में संसाधन की उपलब्धता होने पर विद्यार्थी एक वर्ष की 40 क्रेडिट की इन्टर्नशिप NATS या समकक्ष/समतुल्य से कर सकता हैं। यह इन्टर्नशिप विद्यार्थी 06 माह के दो अथवा 4 माह के तीन अथवा 3 माह के चार भागों में भी कर सकता है। यह इंटर्नशिप विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के मार्गदर्शन में सहयोगी संस्था/इन्डस्ट्री से की जायेगी। 40 क्रेडिट (1200 घण्टों) की इन्टर्नशिप के पश्चात विद्यार्थी को स्नातक (इन्टर्नशिप/एप्रेन्टिससिप सहित) की उपाधि दी जायेगी।

8.5 एक बार क्रेडिट का उपयोग करने के पश्चात विद्यार्थी उन पेपर के क्रेडिट का उपयोग पुनः नहीं कर सकेगा। उदाहरण के लिये यदि कोई छात्र एक वर्ष के बाद 40 क्रेडिट का प्रयोग कर सर्टीफिकेट प्राप्त करता है तो उसके क्रेडिट खर्च माने जायेंगे। यदि वह कुछ वर्षो बाद डिप्लोमा लेना चाहता हैं तो या तो अपना मूल सर्टीफिकट विश्वविद्यालय में जमा (surrender) कर 40 क्रेड़िट को खाते में री–क्रेडिट (re-credit) करेंगा। यदि विद्यार्थी (re-credit) री–क्रेडिट नही करता हैं तो, नए क्रेडिट पुनः जमा करेगा जिसके आधार पर द्वितीय वर्ष (वास्तविक तृतीय वर्ष) में 80 (40+40) क्रेडिट अर्जित कर डिप्लोमा प्राप्त कर सकता हैं। इसी तरह की व्यवस्था आगामी वर्षो के लिये भी होगी। यदि विद्यार्थी लगातार अध्ययन करता हैं तथा सर्टीफिकेट/डिप्लोमा नहीं लेता हैं तो वह 120 क्रेड़िट के आधार पर त्रिवर्षीय स्नातक डिग्री प्राप्त कर सकता हैं।

8.6 यदि कोई योग्य छात्र (Fast Learner) कम समय में डिग्री के लिये आवश्यक क्रेडिट (ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन) प्राप्त कर लेगा तो न्यूनतम क्रेडिट प्राप्त करने पर डिग्री करने पर डिग्री दो वर्ष बाद ही मिल जायेगी। इसके लिए विश्वविद्यालय अपने सक्षम विधिक निकायों/समितियों के माध्यम से नियमों को अनुमोदित करायेंगे।

Scanned with OKEN Scanner

8.7 द्वितीय वर्ष में संकाय अथवा विषय परिवर्तन की स्थिति में अर्जित क्रेडिट सर्टीफिकेट की श्रेणी में आयेंगे, न कि डिप्लोमा क्योंकि डिप्लोमा प्राप्त करने के लिये उसे उसी विषय के लिए आवश्यक क्रेडिट प्राप्त करने होंगे।

8.8 तीन वर्ष में विद्यार्थी जिस संकाय के दो मुख्य विषयों में न्यूनतम 60 प्रतिशत क्रेडिट प्राप्त करेगा, उसी संकाय में उसे डिग्री दी जायेगी और विश्वविद्यालय नियमानुसार स्नातकोत्तर में प्रवेश सुविधा होगी। जैसे यदि विद्यार्थी तीन वर्ष में किसी एक संकाय में, दो मुख्य विषयों के कुल क्रेडिट का न्यूनतम 60 प्रतिशत क्रेडिट (88 का 60 प्रतिशत अर्थात 53 क्रेडिट) प्राप्त नहीं कर पाता हैं तो उसे बैचलर ऑफ लिबरल ऐजूकेशन की डिग्री दी जायेगी तथा वह उन विषयों में स्नातकोत्तर कर सकेगा जिनमें स्नातक स्तर पर किसी विषय की पूर्वापेक्षा (prerequisite) की आवश्यकता नहीं होगी।

8.9 यदि कोई योग्य छात्र सर्टीफिकेट/डिप्लोमा ले कर अपने क्रेडिट री–क्रेडिट (re-credit) कर लेता है और वह आगामी परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता हैं, तो वह री–क्रेडिट किये गये क्रेडिट का उपयोग कर पुनः सर्टीफिकेट/डिप्लोमा प्राप्त कर सकता हैं।

8.10 विद्यार्थी निकास के समय आवश्यक कुल क्रेडिट के अधिकतम 40 प्रतिशत तक (As per UGC/NEP guidlines) क्रेडिट ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं।

**9. उपस्थिति व क्रेडिट निर्धारण**

9.1 क्रेडिट प्राप्ति के लिये परीक्षा देनी आवश्यक होगी। परीक्षा के बिना क्रेडिट अपूर्ण होंगे।

9.2 परीक्षा देने लिये पूर्व नियमानुसार 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी।

9.3 यदि कोई विद्यार्थी कक्षा में उपस्थिति के आधार पर परीक्षा के लिये अर्हता प्राप्त करता हैं, परन्तु किसी कारण से परीक्षा नहीं दे पाता, तो वह आगामी समय में अर्हित परीक्षा दे सकता हैं। उसे पुनः कक्षायें लेने की आवश्यकता नहीं होगी।

**10 प्रवेष नियमावली एवं प्रक्रिया तथा समय–सारणी (Time table)**

10.1 विश्वविद्यालय यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी उच्च शिक्षण संस्थान/महाविद्यालय प्रवेश आरम्भ होने से पूर्व ही अपनी समय सारणी (Time table) तैयार कर लें, जिससे विद्यार्थी प्रवेश के समय अन्य संकाय के उन विषयों का चयन कर सकें जिनकी कक्षायें अलग समय पर संचालित होती हो ताकि उनकी कक्षाओं के समय बाधा (ओवरलैंपिग) न हो।

10.2 सभी शिक्षण संस्थान इस प्रकार से समय–सारणी (Time table) तैयार करें जिससे कि विद्यार्थियों को अन्य संकाय के विषयों के चयन के अधिकतम विकल्प उपलब्ध हो सकें।

**11 सतत आंतरिक एवं विश्वविद्यालय द्वारा मूल्यांकन**

11.1 सतत आंतरिक मूल्यांकन उद्देश्य केवल आंतरिक परीक्षा नहीं हैं अपितु विद्यार्थी का सर्वांगीण मूल्यांकन करना हैं। एन0ई0पी0–2020 के अनुसार सभी विद्यार्थियों का सतत् आंतरिक मूल्यांकन (CIE) कराया जाना है जिसे शिक्षक, शिक्षण कार्य के साथ पूर्ण करेगे।

11.2 सम्बन्धित शिक्षक द्वारा आन्तरिक मूल्यांकन की उत्तर पुस्तिका, प्रश्नोत्तरी, प्रोजेक्ट एवं सम्बन्धित सामग्री को मूल्यांकन के बाद छात्रों को दिखाया जायेगा एवं वापिस लेकर अपनी निगरानी में सम्बन्धित शिक्षक/विभागाध्यक्ष/प्राचार्य द्वारा परिणाम घोषित होने के कम से कम एक वर्ष बाद तक अवश्य सुरक्षित रखा जायेगा।

11.3 शिक्षक/विभागाध्यक्ष/प्राचार्य आन्तरिक मूल्यांकन के अधिकतम 25 अंकों के पूर्णांक में से प्राप्तांकों को विश्वविद्यालय पोर्टल पर निर्धारित समयावधि में ऑनलाइन अपलोड करेंगे, इसकी हार्डकॉपी अविलम्ब विश्वविद्यालय में जमा करायेंगे तथा एक प्रति अपने पास सुरक्षित रखेंगे।

11.4 सतत् आन्तरिक मूल्यांकन से सम्बन्धित सभी खर्चों का वहन सम्बन्धित महाविद्यालय/संस्थान द्वारा विद्यार्थियों से वार्षिक आन्तरिक परीक्षा शुल्क के रूप में विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार प्राप्त आन्तरिक परीक्षा शुल्क से करेंगे।

Scanned with OKEN Scanner

11.5 मुख्य व माइनर विषयों के केवल सैद्धान्तिक (थ्योरी) पेपर्स में 25 सतत् आन्तरिक मूल्यांकन (CIE) अनिवार्य होगा तथा विश्वविद्यालय द्वारा 75 अंको की परीक्षा करायी जायेगी। प्रयोगात्मक, वोकेशनल/स्किल, को–करीकुलर तथा शोध परियोजना के कोर्सेज में सतत् आंतरिक मूल्यांकन (CIE) आवश्यक नहीं हैं तथा विश्वविद्यालय द्वारा इन कोर्सज की परीक्षा 100 अंको के आधार पर होगी। वोकेशनल/स्किल कोर्सेज का मूल्यांकन पूर्व की भांति शासनादेश संख्या 1969/सत्तर–3–2021, दिनांक 18.08.2021 के अनुसार किया जायेगा।

11.6 सतत् आंतरिक मूल्यांकन (CIE) के लिए किसी प्रकार की केन्द्रीयकृत/विश्वविद्यालय स्तरीय मिड टर्म परीक्षायें आयोजित नहीं की जायेगी।

11.7 शासनदेश संख्या–2058/सत्तर–3–2021–08(33)/2020 टी0सी0, दिनांक 26.08.2021 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार सतत् आंतरिक मूल्यांक (CIE) प्रोजेक्ट (Project), सेमिनार (Seminar) रोज प्ले (Roll play) क्विज (Quiz) प्रैक्टिकल (Practical), सर्वे (Survey), बुक रिव्यू (Book review), निबन्ध (Essay), एक्सटेम्पोर (Extempore), एक्जीबिशन (Exhibition), फेयर (Fair), शैक्षणिक भ्रमण (Visit) आदि के द्वारा किया जा सकता हैं। सतत् आंतरिक मूल्यांकन (CIE) में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए विश्वविद्यालयों के परीक्षा नियंत्रक नीति निर्धारित करेगें।

11.8 विद्यार्थी के सतत् आंतरिक मूल्यांकन के अंक प्रदान करने के लिए पाठ्येत्तर गतिविधियों (Extra -Curricular activities, Study Tour, Sports, Outreach Activity, Social Service etc) का उपयोग भी किया जा सकता हैं, जिसके लिए विस्तृत दिशा–निर्देश विश्वविद्यालयों द्वारा अपने स्तर से जारी किये जायेंगे।

11.9 प्रयोगात्मक, को करीकुलर/वोकेशनल तथा शोध परियोजना में सतत् आन्तरिक (CIE) मूल्यांकन आवश्यक नहीं हैं। विश्वविद्यालय द्वारा इन कोर्सो की परीक्षा 100 अंको के आधार पर होगी।

**12 परीक्षा व्यवस्था**

12.1 सभी प्रश्नपत्र 100 अंक के होगें जिनका फार्मूला एवं क्रेडिट के अनुसार परसेन्टाईल एवं ग्रेड में सॉफ्टवेयर द्वारा परिवर्तित कर दिया जायेगा।

12.2 सभी मुख्य विषयों एंव गौण इलैक्टिव पेपर की परीक्षा 25 प्रतिशत सतत् आन्तरिक मूल्यांकन एवं 75 प्रतिशत बाह्य मूल्यांकन के आधार पर की जायेगी। प्रत्येक का कुल पूर्णांक 100 होगा।

12.3 विषम सेमेस्टर की लिखित परीक्षा होगी तथा सम–सेमेस्टर की परीक्षा बहुविकल्पीय (MCQ) होगी।

12.4 सह पाठयक्रम (Co-curricular) विषय की परीक्षा (प्रत्येक सेमेस्टर मे) बहुविकल्पीय (MCQ) होगी।

12.5 मुख्य विषय एवं गौण विषय प्रत्येक पेपर (Theory & Practical) का उत्तीर्णांक 33 प्रतिशत होगा, जो CBCE आधरित होगा। उत्तीर्ण होने हेतु (अ) विश्वविद्यालय की परीक्षा में अधिकतम 75, न्यूनतम 25 अंक (75 का 33 प्रतिशत) लाने आवश्यक होगे। (ब) आन्तरिक एवं बाह्य परीक्षा में कुल मिलाकर न्यूनतम 33 प्रतिशत अंक होगे।

12.6 **किसी भी कोर्स/पेपर के आन्तरिक मूल्यांकन में कोई भी उत्तीर्ण प्रतिशत नहीं है।** यदि किसी विद्यार्थी को आन्तरिक मूल्यांकन में शून्य अंक व बाह्य परीक्षा न्यूनतम उतीर्णांक 33 (मुख्य एवं माइनर विषयों) प्रतिशत अंक मिलते हैं तब भी वह उर्तीर्ण होगा। आन्तरिक मूल्यांकन में पूर्ण अनुपस्थिति पर भी शून्य अंक ही मिलेगे। किसी भी विषय में पुनः आन्तरिक मूल्यांकन नहीं होगा।

12.7 कौशल विकास/रोजगारपरक कोर्स/पेपर का मूल्यांकन कुल पूर्णांक 100 में से होगा, जिनमें से प्रशिक्षण/ट्रेनिंग/प्रैक्टिकल आधारित कार्य का मूल्यांकन 60 अंकों में से होगा तथा सैद्धांतिक (Theory) आधारित कार्य का मूल्यांकन 40 अंकों में से होगा। उल्लेखनीय है कि चारों कौशल विकास कोर्स में आन्तरिक परीक्षायें सम्पन्न नहीं करायी जायेंगी। कौशल विकास कोर्स/पेपर में कुल पूर्णांक 100 में से न्यूनतम उत्तीर्णांक 40 होंगे। प्रशिक्षण/ट्रेनिग एवं सैद्धांतिक (Theory) में अलग–अलग कोई न्यूनतम उत्तीर्णांक नहीं होंगे।

12.8 सहपाठ्यचर्या पाठयक्रमों (कोकरिकुलर कोर्सेस) की परीक्षा में उर्त्तीण प्रतिशत मुख्य एवं गौण विषयों के समान 33 प्रतिशत ही होगा, तथा इनसे प्राप्त ग्रेडस को सीजीपीए की गणना मे सम्मलित किया जायेगा।

12.9 किसी भी प्रकार के कृपांक (Grace marks) नहीं दिये जायेंगे।

12.10 यदि कोई छात्र/छात्रा मेजर/माइनर विषयों की विश्वविद्यालय परीक्षा (बाहय् परीक्षा) में न्यूनतम निर्धारित 25 अंक प्राप्त करने में असफल रहता है तो परीक्षा परिणाम में बाह्य परीक्षा के सम्मुख F (Fail) अंकित किया जायेगा।

Scanned with OKEN Scanner

12.11 यदि कोई छात्र/छात्रा मेजर/माइनर विषयों की बाह्य परीक्षा एवं आन्तरिक परीक्षा में कुल मिलाकर न्यूनतम 33 अंक प्राप्त करने में असफल रहता है तो बाह्य एवं आन्तरिक परीक्षा के योग के सम्मुख F (Fail) अंकित किया जायेगा।

13 <u>बैक पेपर अथवा सुधार (Improvement) परीक्षा –</u>

13.1 विद्यार्थी बैक पेपर अथवा सुधार (Improvement) परीक्षा में सम्बन्धित पेपर की केवल बाह्य परीक्षा में ही सम्मिलित हो सकता है। पूर्व–छात्र (Ex-Student) के रुप में सम्पूर्ण (बाह्य व आन्तरिक) परीक्षा देने हेतु अनुमन्य होगा।

13.2 पूर्व–छात्र (Ex-Student) के रुप में एक विद्यार्थी दो पूर्ण सेमेस्टर्स की सम्पूर्ण परीक्षाएं एक साथ नहीं दे सकता।

13.3 विद्यार्थी को बैक पेपर अथवा सुधार (Improvement) की सुविधा सम/विषम सेमेस्टर्स के प्रश्नपत्रों के लिए सम/विषम सेमेस्टर्स में ही उपलब्ध होगी।

13.4 विद्यार्थी को बैक पेपर अथवा सुधार (Improvement) हेतु परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम/पेपर वही होगा जो वर्तमान सेमेस्टर, जिसमें वह परीक्षा दे रहा है में उपलब्ध होगा।

13.5 कोई विद्यार्थी एक सेमेस्टर में एक साथ दो से अधिक स्किल डेवलपमेण्ट कोर्स (कौशल विकास पाठ्यक्रम) की परीक्षा नहीं दे सकेगा।

13.6 कोई विद्यार्थी एक सेमेस्टर में एक साथ दो से अधिक सह–पाठ्यक्रम (Co-curricular) की परीक्षा नहीं दे सकेगा।

13.7 CBCS प्रणाली में सेमेस्टर के सभी प्रश्नपत्रों में अनुपस्थित अथवा अनुत्तीर्ण होने की स्थिति में विद्यार्थी सम्बन्धित सेमेस्टर के समस्त प्रश्नपत्रों की परीक्षा देगा। यदि विद्यार्थी ने कुछ प्रश्न–पत्र उत्तीर्ण कर लिए हैं तो आगामी सेमेस्टर के साथ विद्यार्थी को उन्हीं प्रश्नपत्रों के बैक परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति होगी, जिनमें वह पहले अनुपस्थित अथवा अनुत्तीर्ण रहा था।

13.8 वर्तमान सेमेस्टर का विद्यार्थी पिछले किसी एक सेमेस्टर के अधिकतम 12 क्रेडिट के प्रश्नपत्रों (स्नातक स्तर पर दो मेजर नही हो सकते) की परीक्षा में बैंक परीक्षार्थी के रूप में सम्मिलित होने हेतु अर्ह होगा। उदाहरणार्थ–तृतीय सेमेस्टर में अध्ययनरत विद्यार्थी तृतीय सेमेस्टर की मुख्य परीक्षा के साथ प्रथम सेमेस्टर के अधिकतम 12 क्रेडिट के प्रश्न–पत्र की बैक परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अर्ह होगा।

13.9 ऐसे छात्र/छात्रा जो प्रयोगात्मक परीक्षा में अनुपस्थित अथवा अनुत्तीर्ण होते हैं, प्रयोगात्मक परीक्षा में सम्बन्धित सेमेस्टर में बैक परीक्षार्थी के रुप में सम्मिलित होने हेतु अर्ह होंगे।

13.10 पंचम एवं प्रथम सेमेस्टर तथा छठे एवं द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षायें एक ही तिथि एवं समय पर आयोजित होती है इसलिये पंचम सेमेस्टर एवं छठे सेमेस्टर की परीक्षा में सम्मिलित हो रहे परीक्षार्थियों को क्रमशः प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर परीक्षा के बैक प्रश्न–पत्र में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी। ऐसे छात्र जो पंचम एवं छठे सेमेस्टर तक भी प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर की कुछ परीक्षाओं में अनुत्तीर्ण रह जाते हैं, को छठा सेमेस्टर पूर्ण कर लेने के पश्चात ही प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर की बैक प्रश्न–पत्र परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान की जायेगी।

13.11 स्नातक पाठ्यक्रम के छठे सेमेस्टर की मुख्य परीक्षा में बैठने तक यदि विद्यार्थी के प्रथम से पंचम सेमेस्टर तक जिन प्रश्नपत्रों मे भी बैक होगी उन्हें उत्तीर्ण करने हेतु तृतीय वर्ष (पंचम सेमेस्टर) में प्रवेश से अधिकतम तीन वर्ष की अवधि के अन्तर्गत समस्त बैक प्रश्न–पत्र उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। इस निर्धारित अवधि में यदि विद्यार्थी किसी भी प्रश्न–पत्र को उत्तीर्ण करने में असफल रहता है तो उसे सम्बन्धित संकाय में डिग्री प्रदान नहीं की जायेगी।

नोट :– यदि विद्यार्थी क्रमशः प्रथम वर्ष में प्रवेश के उपरान्त आगामी तीन वर्ष तक द्वितीय वर्ष में प्रवेश नहीं लेता है, द्वितीय वर्ष में प्रवेश के उपरान्त आगामी तीन वर्ष तक तृतीय वर्ष में प्रवेश नहीं लेता तदोपरान्त तृतीय वर्ष में प्रवेश लेता है तो ऐसी अवस्था में स्नातक डिग्री पूर्ण करने की अधिकतम अवधि नौ वर्ष (3+3+3) होगी।

Scanned with OKEN Scanner

14 पी0एच0डी0 कार्यक्रम –

14.1 पी0एच0डी0 कार्यक्रम में प्रवेश एवं संचालन के नियम विश्वविद्यालय द्वारा उ0प्र0 शासन/यू0जी0सी0 के दिशा निर्देशों के अनुसार बनाकर लागू होंगे।

14.2 पी0एच0डी0 कार्यक्रम में विश्वविद्यालय द्वारा शोध परियोजना से पहले सभी विद्यार्थियों को प्री0–पी0एच0डी0 कोर्स वर्क करना अनिवार्य होगा।

14.3 विश्वविद्यालय में प्री–पी0एच0डी0 कोर्स की संरचना में एकरूपता लाने के लिए इस कोर्स वर्क में मुख्य विषय के चार प्रश्न–पत्र होगें। प्रत्येक प्रश्न–पत्र 2 क्रेडिट का होगा। एक प्रश्न–पत्र 04 क्रेडिट का (उस मुख्य विषय से सम्बन्धित Research Methodology, Including research ethics, plagiarism and computer application) कुल 5 प्रश्न–पत्र होंगे, जो कुल 12 क्रेडिट के होंगे।

14.4 पी0एच0डी0 कार्यक्रम के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नियमावली–2016 (UGC Regulation 2016) के बिन्दु संख्या 7.8 के अनुरूप प्री–पी0एच0डी0 कोर्स वर्क में न्यूनतम उत्तीर्ण अंक (Minimum passing marks) 55% अथवा समकक्ष ग्रेड/CGPA से उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा।

14.5 उपरोक्त सैद्धांतिक (Theory) प्रश्नपत्रों के अतिरिक्त प्री–पी0एच0डी0 कोर्स वर्क में 4 क्रेडिट की एक शोध परियोजना भी अनिवार्य रूप से करनी होगी।

14.6 प्री–पी0एच0डी0 कोर्स के पांचों प्रश्नपत्रों एवं शोध परियोजना के प्राप्तांको पर आधारित ग्रेड को CGPA की गणना में सम्मिलित किया जायेगा।

14.7 प्री–पी0एच0डी0 कोर्स वर्क के सभी प्रश्नपत्रों में 16 क्रेडिट अर्जित करने वाले विद्यार्थी को उस मुख्य विषय में Post Graduate Diploma in Research (PGDR) दिया जायेगा, अगर वह शोध कार्य को आगे जारी नहीं रखना चाहता है।

14.8 प्री–पी0एच0डी0 कोर्स वर्क उत्तीर्ण करने के पश्चात ही विद्यार्थी को पी0एच0डी0 में शोध के लिए पंजीकृत किया जायेगा।

14.9 उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या–69/सत्तर–1–2022, दिनांक 06.01.2021 के अनुसार सेवारत शिक्षकों के लिए प्री–पी0एच0डी0 कोर्स वर्क को पूर्ण करने हेतु भौतिक कक्षाओं के साथ–साथ ऑनलाइन कक्षाओं को भी मान्यता प्रदान की जायेगी। जिसके लिए विश्वविद्यालय द्वारा इस सम्बन्ध में सेवारत शिक्षकों के लिए अलग से ऑनलाइन कोर्स वर्क का प्रारूप व नियम बनाये जायेगें।

15 कक्षोन्नति (Promotion) –

15.1 विद्यार्थी को विषम (Odd) सेमेस्टर से अगले सम (Even) सेमेस्टर में सदैव प्रोन्नत किया जायेगा, चाहे वर्तमान विषम सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम कुछ भी हो। इसके लिए विद्यार्थी द्वारा मात्र विषम सेमेस्टर की परीक्षा का फार्म विश्वविद्यालय में भरा जाना अनिवार्य है।

15.2 वर्तमान सम सेमेस्टर से अगले विषम सेमेस्टर अर्थात स्नातक/स्नातकोत्तर के प्रथम वर्ष से द्वितीय वर्ष अर्थात द्वितीय सेमेस्टर से तृतीय सेमेस्टर में प्रोन्नति निम्न शर्तों के अधीन दी जायेगी :–

(अ) विद्यार्थी ने वर्तमान प्रथम वर्ष (दोनों सेमेस्टरों में मिलाकर) के कुल आवश्यक (required) क्रेडिटस् का न्यूनतम 50% क्रेडिट के कोर्स/प्रश्नपत्रों (थ्योरी, प्रेक्टिकल, एवं वृहद शोध परियोजना को मिलाकर) उत्तीर्ण कर लिए हों। न्यूनतम 50% क्रेडिट की गणना करने में दशमलव के बाद के अंक नहीं गिने जाएंगे। जैसे कि 27.6 तथा 27.3 को 27 ही माना जाएगा।

(ब) कक्षान्नोति के लिए कोई न्यूनतम CGPA लागू नहीं होगा।

15.3 स्नातकोत्तर कार्यक्रम का प्रथम वर्ष उच्च शिक्षा का चतुर्थ वर्ष होगा। इसमें न्यूनतम 5.0 CGPA के साथ उत्तीर्ण करके यदि कोई विद्यार्थी निकास (Exit) करता है, तो उसे स्नातक (शोध सहित) संकाय [Bachelor (Research) in faculty] की उपाधि प्रदान की जायेगी। यह सुविधा केवल उन्हीं विद्यार्थियों को उपलब्ध होगी, जिन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अन्तर्गत त्रिवर्षीय स्नातक की उपाधि पूर्ण की है तथा स्नातकोत्तर का वह विषय उसके स्नातक के तीनों वर्ष में होना अनिवार्य है। यह सुविधा बैचलर ऑफ लिबरल एजुकेशन डिग्री धारक स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को प्रदान नहीं की जायेगी।

Scanned with OKEN Scanner

ग्रेडिंग निर्धारण –

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अर्न्तगत सभी विश्वविद्यालयों के लिए एक समान ग्रेडिंग प्रणाली की आवश्यकता है, जिससे सभी विश्वविद्यालयों में समान व्यवस्था हो तथा विद्यार्थी का एक विश्वविद्यालय/महाविद्यालय से दूसरे विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में अबेकस यूपी (**ABACUS UP**) के द्वारा स्थानांतरण किया जा सके। प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में स्नातक स्तर पर बी०ए०, बी०एस०सी० एवं बी०काम0 के तीन वर्ष हेतु 10 पॉइंट ग्रेडिंग प्रणाली उत्तर प्रदेश सरकार के शासनादेश संख्या –1032 सत्तर–3–2022–08 (35)2020 दिनांक 20 अप्रैल 2022 के द्वारा सत्र 2021–22 से लागू की संस्तुति की गई है। यह ग्रेडिंग प्रणाली यू0जी0सी0 के द्वारा जारी दिशा निर्देशों पर आधारित है। इसी के अनुरूप स्नातकोत्तर स्तर पर सत्र 2023–24 से माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय, सहारनपुर में लागू की गयी नीति के अर्न्तगत निम्नलिखित (तालिका–2) 10 पॉइंट ग्रेडिंग प्रणाली लागू की जायेगी।

17 प्री–पी0एच0डी0 कोर्स वर्क में क्रेडिट निर्धारण एवं ग्रेडिंग प्रणाली :

तालिका – 1
स्नातक के लिए संस्तुत 11 पॉइंट ग्रेडिंग प्रणाली

| लेटर ग्रेड | विवरण | अंकों की सीमा | ग्रेड पॉइंट |
|---|---|---|---|
| O | Outstanding | 91-100 | 10 |
| A+ | Excellent | 81-90 | 9 |
| A | Very Good | 71-80 | 8 |
| B+ | Good | 61-70 | 7 |
| B | Above Average | 51-60 | 6 |
| C | Average | 41-50 | 5 |
| P | Pass | 33-40 | 4 |
| F | Fail | 0-32 | 0 |
| AB | Absent | Absent | 0 |
| Q | Qualified | | |
| NQ | Not Qualified | | |

तालिका – 2
स्नातक (शोध सहित) एवं स्नातकोत्तर के लिए संस्तुत 10 पॉइंट ग्रेडिंग प्रणाली

| लेटर ग्रेड | विवरण | अंकों की सीमा | ग्रेड पांइट |
|---|---|---|---|
| O | Outstanding | 91-100 | 10 |
| $A^+$ | Excellent | 81-90 | 9 |
| A | Very Good | 71-80 | 8 |
| B | Good | 61-70 | 7 |
| C | Average | 51-60 | 6 |
| P | Pass | 40-50 | 5 |
| F | Fail | Below 40 | 0 |
| AB | Absent | Absent | 0 |
| Q | Qualified | ≥ 40 or above | - |
| NQ | Not Qualified | < 40 less than | - |

तालिका – 3
प्री–पी0एच0डी0 कोर्स वर्क के लिए 9 पॉइंट ग्रेडिंग प्रणाली

| लेटर ग्रेड | विवरण | अंकों की सीमा | ग्रेड पांइट |
|---|---|---|---|
| O | Outstanding | 91-100 | 10 |
| $A^+$ | Excellent | 81-90 | 9 |
| A | Very Good | 71-80 | 8 |
| $B^+$ | Good | 61-70 | 7 |
| B | Above average (Pass) | 55-60 | 6 |
| F | Fail | 0-54 | 0 |
| AB | Absent | Absent | 0 |
| Q | Qualified | | |
| NQ | Not Qualified | | |

Scanned with OKEN Scanner

## CGPA/SGPA की गणना एवं श्रेणी निर्धारण –

18.1 स्नातक/स्नातकोत्तर/PGDR कोर्स वर्क में SGPA एवं CGPA की गणना निम्न तालिका–4 में दिये गये सूत्रों से की जाएगी :

तलिका– 4

CGPA/SGPA की गणना

| | |
|---|---|
| jth सेमेस्टर के लिये :<br>SGPA (Sj) = Σ (Ci×Gi)/ Σ Ci | यहाँ पर :<br>**Ci= number of credits of the ith course in jth semester.**<br>**Gi = grade point scored by the student in the ith course in jth semester.** |
| CGPA = Σ (Cj×Sj)/Σ Cj | यहाँ पर :<br>**Sj = SGPA of the jth semester.**<br>**Cj = Total number of credits in the jth semester.** |

18.2 CGPA को प्रतिशत अंको में निम्नलिखित सूत्र के अनुसार परिवर्तित किया जायेगा :

समतुल्य प्रतिशत = CGPA **X** 9.5

विद्यार्थियों को तालिका 5 के अनुसार स्नातक में श्रेणी (Division) प्रदान की जाएगी

तालिका – 5

| श्रेणी | वर्गीकरण |
|---|---|
| प्रथम श्रेणी | 7.00 अथवा उससे अधिक तथा 10.00 अथवा इससे कम **CGPA** |
| द्वितीय श्रेणी | 5.00 अथवा उससे अधिक तथा 7.00 से कम **CGPA** |
| तृतीय श्रेणी | 4.00 अथवा उससे अधिक तथा 5.00 से कम **CGPA** |

18.3 विद्यार्थियों को तालिका 6 के अनुसार स्नातकोत्तर में श्रेणी (Division) प्रदान की जाएगी

| श्रेणी | वर्गीकरण |
|---|---|
| प्रथम श्रेणी | 7.00 अथवा उससे अधिक तथा 10.00 से कम अथवा बराबर **CGPA** |
| द्वितीय श्रेणी | 5.00 अथवा उससे अधिक तथा 7.00 से कम **CGPA** |

18.4 प्री–पी0एच0डी0/PGDR कोर्स वर्क में तालिका 7 के अनुसार श्रेणी प्रदान की जायेगी :

तालिका – 7

| श्रेणी | वर्गीकरण |
|---|---|
| प्रथम श्रेणी | 7.00 अथवा उससे अधिक तथा 10.00 से कम अथवा बराबर **CGPA** |
| द्वितीय श्रेणी | 5.50 अथवा उससे अधिक तथा 7.00 से कम **CGPA** |

18.5 उत्तर प्रदेश शासनादेश संख्या 1567/सत्तर–3–3–2021–16(26)/2011 दिनांक 13.07.2021 के अनुपालन में माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय, सहारनपुर में सत्र 2021–2022 से लागू हैं। शासनादेश संख्या 2090/सत्तर–3–3–2024–09(01)/2023(L) 02 सितम्बर द्वारा निर्गत तालिकाएं।

Scanned with OKEN Scanner

# Uttar Pradesh NEP-2020 UG-PG
## course structure aligned with FYUGP of UGC
## Table 1: (To be in effect from 2024-25 Session)

| {Cummulative Minimum Credits} Required for Award of Certificate/ Diploma/ Degree | | | Subject I | Subject II | Subject III | Vocational Skill Enhancement Courses (SEC) with Summer Internship | Co-Curricular Ability / Enhancement Courses (AEC) | Research Project / Dissertation/ Internship / Field or survey work | {Minimum Credits} For the year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Major (core) | Major (core) | Minor Multidisciplinary | Minor | Minor | Major | |
| | | | 4/5/6 Credits | 4/5/6 Credits | 6 Credits | 3 Credits | 2 Credits | 3/4 Credits | |
| | Year | Sem. | Own Faculty | Own Faculty | Other Faculty | Vocational Skill Enhancement Courses (SEC) with Summer Internship | Co-Curricular Ability / Enhancement Courses (AEC) | Inter/Intra Faculty related to main Subject | |
| {40} Certificate in Faculty | 1 | I | Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2) | Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2) | 1 (6) | 1 (3) | 1 (2) | | 40 |
| | | II | Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2) | Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2) | | 1 (3) | 1 (2) | | |
| {40+40=80} Diploma in Faculty | 2 | III | Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2) | Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2) | 1 (6) | 1 (3) | 1 (2) | | 40 |
| | | IV | Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2) | Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2) | | | 1 (2) | 1 (3) Point 7.1 | |
| {80+40=120} 3-year UG Degree | 3 | V | Th-2(5) or Th-2(4)+ Pract-1(2) | Th-2(5) or Th-2(4)+ Pract-1(2) | | | | | 40 |
| | | VI | Th-2(5) or Th-2(4)+ Pract-1(2) | Th-2(5) or Th-2(4)+ Pract-1(2) | | | | | |
| Fourth Year | | | | | | | | | |
| *Apprenticeship / Internship embedded UG degree programme | 4 | 12 Months Apprenticeship/ Internship through NATS or from equevelent organization/ Industry/institute | | | | 1 (40) 1200 hours | | | 40 |
| OR | | | | | | | | | |
| {120+40=160} 4-year UG Degree (Honours) | 4 | VII | Th-5(4) or Th-4(4)+ Pract-1(4) | | | | | | 40 |
| | | VIII | Th-5(4) or Th-4(4)+ Pract-1(4) | | | | | | |
| OR | | | | | | | | | |
| {120+40=160} 4-year UG Degree (Honours with Research) | 4 | VII | Th-4(4) or Th-3(4)+ Pract-1(4) | | Students who secure 75% marks in the first 6 semesters | | | 1 (4) | 40 |
| | | VIII | Th-4(4) or Th-3(4)+ Pract-1(4) | | | | | 1 (4) | |
| 200 Master in | 5 | IX | Th-4(4) or Th-3(4)+ | | | | | 1 (4) | 40 |

Scanned with OKEN Scanner

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faculty | | | Pract-1(4) | | | | | | |
| | | X | Th-4(4) or Th-3(4)+ Pract-1(4) | | | | | I (4) | |
| (216) PGDR in Subject | 6 | XI | Th-4(2) | I (4) Research Methodology | | | | I (4) | 16 |
| Ph.D. in Subject | 6,7,8 | XII-XVI | | | | | | Ph. D. Thesis | |

*Apprenticeship/Internship embedded degree programme degree holder have to do 2 year PG programme. It is purely optional for Universities, to run and give this degree.

**3 year Honors/Single subject programme structure**
**Table 2: (To be in effect from 2024-25 Session)**

| (Cummulative Minimum Credits) Required for Award of Certificate/ Diploma/ Degree | Year | Sem. | Subject I | Subject II | Subject III | Vocational Skill Enhancement Courses (SEC) with Summer Internship | Co-Curricular Ability / Enhancement Courses (AEC) | Research Project / Dissertation / Internship/ Field or survey work | (Minimum Credits) For the year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Major (core) | Major (core) | Minor Multidisciplinary | Minor | Minor | Major | |
| | | | 4/5/6 Credits | 4/5/6 Credits | 6 Credits | 3 Credits | 2 Credits | 3/4/5 Credits | |
| | | | Own Faculty | Own Faculty | Other Faculty | Vocational Skill Enhancement Courses (SEC) with Summer Internship | Co-Curricular Ability / Enhancement Courses (AEC) | Inter/Intra Faculty related to main Subject | |
| (40) Certificate in Faculty | 1 | I | Th-3(4) or Th-2(4)+ Pract-1(4) | | I (6) | I (3) | I (2) | | 40 |
| | | II | Th-3(4) or Th-2(4)+ Pract-1(4) | | | I (3) | I (2) | | |
| (40+40=80) Diploma in Faculty | 2 | III | Th-3(4) or Th-2(4)+ Pract-1(4) | | I (6) | I (3) | I (2) | | 40 |
| | | IV | Th-3(4) or Th-2(4)+ Pract-1(4) | | | | I (2) | I (3) Point 7.1 | |
| (80+40=120) 3-year Single Subject Plain UG Degree | 3 | V | Th-4(4) or Th-3(4)+ Pract-1(4) | | | | | I (4) | 40 |
| | | VI | Th-4(4) or Th-3(4)+ Pract-1(4) | | | | | I (4) | |
| | | | | | or | | | | |
| (80+50=130) 3-year Single Subject Honours UG Degree | | V | Th-4(5) or Th-4(4)+ Pract-1(4) | | | | | I (5) | 50 |
| | | VI | Th-4(5) or Th-4(4)+ Pract-1(4) | | | | | I (5) | |

- Single subject 3 years UG programme examples: BBA, BCA, BHM, BSc (Chemistry), BSc, Chemistry (Hnours), Etc.
- After both the above programmes (3 years plain or Honours degree), one has to pursue 4th/ 5th years of UG/ PG programmes as given in the Table 1, in the same manner as the one who completes, 3 years UG degree of Table 1.

19-10-24
कमल कृष्ण
उपकुलसचिव

प्रो0 गरिमा जैन
डीन विज्ञान संकाय

प्रो हरिओम गुप्ता
डीन वाणिज्य संकाय

प्रो0 अमिता अग्रवाल
डीन कलां संकाय

प्रो0 ओमकार सिंह
संयोजक
एन0ई0पी0 2020

Scanned with OKEN Scanner